कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

श्रीमती राखी मेहता व्या0 इतिहास का स्थानान्तरण आदेश कमांक शिविरा–माध्य/संस्था/सी–2/स्थानान्तरण/वाणि0–इति0/2018–19 दिनांक 24.07.2018 द्वारा राबाउमावि सी–स्कीम–जयपुर से राबाउमावि शाहपुरा–जयपुर में किया गया। राखी मेहता ने अपने स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 17656/2018 दायर की। याची ने माननीय सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 2624/2018 दायर की। अपीलार्थी ने कहा कि उसका स्थानान्तरण 70 कि0मी0 दूरी पर किया गया है। वह एक परित्यक्ता है तथा उसे वृद्ध माता–पिता की देखभाल की जिम्मेदारी भी उसी की है। अतः उसका स्थानान्तरण आदेश निरस्त किया जाए। माननीय अधिकरण ने अपने निर्णय में अपीलार्थी को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा अपार्थीगण द्वारा अभ्यावेदन के निस्तारण का आदेश दिया। अतः याची ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

याची के अभ्यावेदन का गहनता से अध्ययन, मनन किया गया तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर पाया गया कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया गया। व्याख्याता का पद राज्य सेवा का पद है, अतः किसी भी व्याख्याता का पदस्थापन/स्थानान्तरण विभागीय आवश्यकतानुसार राज्य में छात्रहित अथवा लोकहित में किसी भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कहीं भी किया जा सकता है। विभाग की आवश्यकता प्रथम वरीयता है। स्थानान्तरण आदेश में विभाग द्वारा केवल विधवा/विकलांग उको कार्यमुक्त न करने का आदेश है,परित्यक्ता के लिए आदेशित नही हैं।इस प्रकार याची का अभ्यावेदन खारिज करते हुए निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आइ.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/संस्था/सी–2/कोके/याचिका सं0 2624/2018/राखी मेहता/ दिनांक– 11/9/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संबंधित उपनिदेशक, (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि) जयपुर/जोधपुर/अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा
4. संबंधित प्रधानाचार्य, राउमावि
5. संबंधित कार्मिक
6. निजी/रक्षित पत्रावली
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर